न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 23/2024

जीसीएमएस : 2024/203

01. किशोरी लाल पुत्र मोटा राम जाति सुथार साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थी

बनाम

1. हरीबिशन पुत्र मनीराम जाति सुथार साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–24.07.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री आर.आर. औझा प्रार्थी अधि.।
2. श्री कृष्णलाल लदोईया अप्रार्थी अधि.।

––निर्णय–– दिनांक 28.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 45 पीएस तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 169/38 मु.नं. 30 पं.नं. 218/303 के कि.नं. 3–8–24 प्रत्येक सालम–सालम व कि.नं. 13/2 में 0.228 है. कि.नं. 17/2 में 0. 013 है. कुल 1.000 है. नहरी खातेदारी भूमि में पहुचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि वाके चक 45 पीएस तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 30 के कि.नं. 2 में 0.018 है. उतरी पासा व राज रकबा कि.नं. 1 में 0.018 है. उतरी पासा कुल 0.036 है. नहरी भूमि से अपने खते में आने–जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मै. प्रार्थी मेरी जोत कृषि भूमि वाके चक 45 पीएस तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 169/38 मुरब्बा नं. 30 पं.नं. 218/303 के कि.नं. 3–8–24 प्रत्येक सालम–सालम व कि.नं. 13/2 में 0.228 है. कि.नं. 17/2 में 0.013 है. कुल 1. 000 है. नहरी खातेदारी भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने वा फसल लाने हेतु आवागमन के लिए रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण अप्रार्थी की भूमि वाके चक 45 पी.एस. का मुरब्बा नं. 30 कि.नं. 1 में 0. 018 है. उतरी पासा व कि.नं. 2 में 0.018 है. उतरी पासा उपरोक्तानुसार कुल 0. 036 है. भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी की ओर से श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र का जवाब [illegible] किया है कि चक 45 पीएस तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 169/[illegible] मु.न[illegible] पं.नं. 218/303 के कि.नं. 3–8–24 प्रत्येक सालम–सालम व कि.नं. 13[illegible] 0.228 है. व कि.नं. 17/2 में 0.013 है. कुल 1.000 है. नहरी खातेदारी भूमि प्रार्थी किशोरीलाल के नाम से खातेदारी है लेकिन [illegible] प्रार्थी द्वारा पंजाब ए[illegible] सिन्ध बैंक शाखा 11 टीके रायसिंहनगर के पक्ष [illegible] रहन दर्ज करवाकर कृ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

ऋण उठाया हुआ है। मिन अनावेदक की इसी चक के मु.नं. 30 के कि.नं. 2 से पहले कि.नं. 1 की 0.240 है. व कि.नं. 10 की 0.253 है. भूमि रकबा राज भूमि है राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क (ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई भी खातेदार भूमि अभिधारी अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग बनाने की मांग कर सकता है, लेकिन रकबा राज भूमि में से रास्ता की मांग नहीं कर सकता तथा इसी खण्ड के क्लॉज (**ii**) में यह प्रावधान किया गया है कि मंजूर किया जाने वाला रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता होना चाहिए। इसके अलावा अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन क्रमांकः प3 (17) राज–6/2021पार्ट/18 दिनांक 12.09.2024 जारी कर राजकीय भूमि का दुरूपयोग रोके जाने व निजी व्यक्तियों को अवांछित लाभा पंहुचाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मिन अनावेदक की खातेदारी भूमि चक 45 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 139/118 के मु.नं. 30 पं.नं. 218/303 के कि.नं. 2 में 0.018 है. (उतरी पासा) में व कि.नं. 1 की 0.240 है. रकबा राज भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी ही नहीं है तथा ना ही उक्त रास्ता कभी चालू ही रहा हैं । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्ट व विधि सम्मत नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। पार्थी की भूमि कि.नं. 3 नेशनल हाइ वे सं. 911 रायसिंहनगर–अनूपगढ़ रोड़ से महज 1 बीघा की दूरी पर स्थित है जो मु.नं. 19 पं.नं. 218/302 के कि.नं. 22 के दक्षिणी पासा व पूर्वी पासा से 1 बीघा की समान दूरी पर है जिस तथ्य को प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में छुपाया है । इसके अलावा प्रार्थी के पिता मौटाराम ने भी पूर्व में सन् 2001 में अनावेदक व अनावेदक के भाई गंगाबिशन के विरूद्व रास्ता का एक प्रकरण सं. 63/2001 बअनवानी मोटाराम आदि बनाम सरकार व गंगाबिशन आदि पेश किया था जो प्रकरण दिनांक 23. 10.2008 को माननीय द्वारा खारिज फरमा दिया गया था जिस तथ्य को भी प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में छुपाया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थी ने चक 45 पीएस. के खाता संख्या 169/38 के मु.नं. 30 पं.नं. 218/303 के कि.नं. 3–8–24 प्रत्येक सालम–सालम व कि.नं. 13/2 में 0.228 है. व कि.नं. 17/2 में 0.013 है. कुल 1.000 है. नहरी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अनावेदक के खाता सं. 139/118 के मु.नं. 30 के कि.नं. 2 में 0. 018 है. उतरी पासा व कि.नं. 1 की 0.240 है. रकबा राज भूमि में 0.018 है. उतरी पासा, कुल 0.036 है. भूमि में से रास्ता की मांग की है, जो कि दिया जाना ही संभव नहीं है क्योकि प्रथम तो चक 45 पीएस के मु.नं. 30 के कि.नं. 1 में 0.240 है. व कि.नं. 10 में 0.253 है. कुल 0.493 है. भूमि रकबा राज भूमि है तथा उक्त रकबा राज भूमि को स्मॉलपेच में आवंटित करवाने बाबत एक प्रकरण इसी न्यायालय में सन् 2008 से प्रकरण सं. 172/2008 बअनवानी उदाराम बनाम सरकार जैरकार है तथा अब राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से आवटन पर रोक लगा रखी है जिसका विस्तृत विवरण भी दिया है। द्वितीय यह कि प्रार्थी द्वारा मु.नं. 30 के कि.नं. 3 मे प्रवेश हेतु रास्ता चाहा गया है, जो कि प्रार्थी की भूमि के उतरी पासा पर चिपते खातेदारी मु.नं. 19 पं.नं. 218/302 के कि.नं. 22 में से दक्षिणी पासा [illegible] करवाया जाना सुगम, लघुतम व निकटतम रहेगा, क्योकि मु.नं. [illegible] नं. 22 नेशनल हाई वे सं. 911 रायसिंहनगर–अनूपगढ़ [illegible] प्रार्थी को कम मुआवजा अदा करना होगा तथा [illegible] 19 के खाते[illegible] को भी काई नुकसान नहीं होगा, जो विकल्प प्रार्थी के [illegible] इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

स्पष्ट व विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों को ही अतिरिक्त कथन में दौहराया गया है। जो शामिल मिसल है।

तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2097 दिनांक 13.11.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 45 पीएस प.नं. 218/303 मु.नं. 30 के कि.नं. 3,8,13/2,17/2, 24 की कुल 1.000 है. नहरी भूमि किशोरीलाल पुत्र मोटाराम जाति सुथार साकिन ठाकरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 45 पीएस के पं.नं. 218/303 मु.नं. 30 के कि.नं. 2–9–12–19/2 कुल 0.898 है. कमाण्ड भूमि हरविशन पुत्र मनीराम जाति सुथार साकिन देह के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है उक्त मु. नं. 30 के कि.नं. 1–10 की 0.493 है. नहरी भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 30 के कि.नं. 1/0.018, 2/0.018 है. भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित है। उक्त चाहा गया रास्ता सड़क से निकटतम दूरी पर है अन्य कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकता है। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि प्रार्थी को खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर को गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क (ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई भी खातेदार भूमि अभिधारी अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग बनाने की मांग कर सकता है, लेकिन रकबा राज भूमि में से रास्ता की मांग नहीं कर सकता तथा इसी खण्ड के क्लॉज (**ii**) में यह प्रावधान किया गया है कि मंजूर किया जाने वाला रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता होना चाहिए। इसके अलावा अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन क्रमांकः प3 (17) राज–6/2021पार्ट/18 दिनांक 12.09.2024 जारी कर राजकीय भूमि का दुरूपयोग रोके जाने व निजी व्यक्तियों को अवांछित लाभा पंहुचाने पर रोक लगा दी गई है। उक्त रकबा राज भूमि को स्मॉलपेच में आवंटित करवाने बाबत एक प्रकरण इसी न्यायालय में सन् 2008 से प्रकरण सं. 172/2008 बअनवानी उदाराम बनाम सरकार जैरकार है तथा अब राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से आवटन पर रोक लगा रखी है उक्त प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के आदेशानुसार खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी ने जमीन के बदले जमीन देने की सहमति दी। परन्तु अप्रार्थी जमीन के बदले दुगुनी जमीन लेना चाहता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन [illegible] विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का [illegible] संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि [illegible] को अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करने [illegible] की गई हैं व उक्त रास्ता स्वीकृत होने से निकटतम अभिलेखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

मार्ग उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी द्वारा जमीन के बदले बारानी भूमि की दुगुनी भूमि हेतु अपनी सहमति दी है व कि.नं. 1 की नहरी भूमि भी आराजीराज दर्ज रिकार्ड है उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि के बदले दुगुनी भूमि व आराजीराज भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क भूमि के बदले डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 45 पी.एस. का मुरब्बा नं. 30 कि.नं. 1 में 0.018 है. उतरी पासा व कि.नं. 2 में 0.018 है. उतरी पासा कुल 0.036 है. गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जाम करवाये। उक्त मु.नं. 30 की कि.नं. 1 की 0.018 है. भूमि रकबाराज है इसलिए 0.018 है. भूमि के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजस्व मद में जमा करावे व कि.नं. 2 की 0.018 है. भूमि के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान करें। गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:58 IST
Reason: SelfAttested